

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।
अभिलेख वाद सं०- 307/2016-12

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9-11-2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म अनाबाद अनाबाद) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>खजुरी</u> थाना नं० <u>270</u> खाता सं० <u>01</u> प्लॉट सं० <u>313</u> रकबा <u>2.30</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>81</u> पर जमाबंदी रैयत <u>दुखन भुइया</u> <u>पिता अकनाथी भुइया</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


28/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में बिहार सरकार थका कमीटी द्वारा निर्ग

पत्र संख्या - 86809

635223

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.2023

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा सख्तपुरी मौजा नं० 270 खाता सं०-01 प्लॉट सं०-313, रकबा 2.30 ए० किस्म खेतीयान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि भू-दान द्वारा कार्यालय, डालटनगंज, पलामू के द्वारा प्रपत्र-5 में प्राप्त है जिसका क्रम सं० 86809/655223 है। उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 81/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


07/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

**सादर जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं दण्डु

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
<u>दुधन मुर्गी ड/० खजुरी</u>		<u>270</u>	<u>1</u>	<u>313</u>	<u>2.308</u>	<u>और मजूरुका</u>	<u>जंगलझाड़ी</u>
<u>मपनाची मुर्गी</u>						<u>माफि</u>	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगलझाड़ी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- मांग पंजी II में मांग संधारण वर्ष दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- पदाधिकारी कालम में वर्ष दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिवंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- पदाधिकारी कालम में वर्ष दर्ज नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- 86809 / 68522-3

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रूपये से कम या इससे अधिक) :- -

Asam
RSI

4

4

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंतीयपत्ती पंजी से :-

(ग) वाखिल-एयरिज / भू-उत्पादन / नामांतरण पंजी से :-

चालु मांग पत्र
II एवं इतिहास
संग्रहित किया

10. (क) अवैध जमाबंदी यथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) यथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. यथा दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :- नहीं
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- प्रतिवेदन
श्रीमि मौजा - खजुरी के खता 1 पन्ना 313 रुकवा - 2.30 घ. भूमि
का मांग दखल भूदमा-510 भूदमा-510 के नाम से मांगें
पंजी-म के पृ. स. 81/1 पर दर्ज है। मांग पंजी-म में मांग
का मत होने का कोई आकार दर्ज नहीं है। मांगदारी को
भूमि विहार भूदान मंत्रालय के पत्र 5 में (पत्र स.
86809/635223 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि को LRDC
या SDO द्वारा लगान निष्पत्ति का समुचित नहीं किया गया
है। भूमि पर मांगदारी का दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है।
भूमि गैरमजकूर का मानिक जंगल - आदी है। (इतिहास के अनुसार)
मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः प्रतिवेदन अंग्रेज 2 करवाई
है। सादर समर्पित। अक्षय R.S.

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

वाक्य अतिरिक्त कार्य प्रतीत है। जाँच का लक्ष्य
निगा, कही गया। अतः अवैध जमाबंदी को अवैध प्रतीत
होता है।



अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त 8
पलामू

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

तहत

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- दुय्यन सुईगा - 5/6 रावनाची सुईगा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं. 2/1 पर कायम।

गौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>रवपुरी</u>	<u>270</u>	<u>1</u>	<u>3/3</u>	<u>2.30 एकड़</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- प्राधिकार कालम में संवत्सारित वर्ष दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गौरमजुरुका मंगलिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

— 1A —

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- विहार मुदान मस
कमिटी द्वारा सपत्र संख्या 86809 के आधार पर
135223
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- वर्तमान गंगा पंजी II एवं चतुर्थांश से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>मांग पंजी II में</u>	<u>किसी भी प्रकार के रसीद का विवरण दर्ज नहीं है।</u>		

22/5/1

ci

ci

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 307 / 20.16.17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act. 1950)

सूचना

बनाम दुखन मुईयां

पिता- भवानी मुईयां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा बलमुनी थाना नं०.....
खाता सं० 1 खेसरा नं० 313 रकबा 230 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० III के पंजी-II भाग के पृष्ठ 81 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि रिथिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

राजेश कुमार

इसे सख्त ताकिद जाने।

मो० 8580396318

24/12/2022



08/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर!